1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक वनक्षेत्र वाला राज्य है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश के वनों में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद एवं बालाघाट के वनों में जहां साल और सागौन वृक्ष प्रजातियां हैं, वहीं चम्बल क्षेत्र में झाड़ीदार वन हैं। म.प्र. का सम्पूर्ण वन क्षेत्र कार्य आयोजना के अंतर्गत लिया गया है। वनवासियों के आवास स्थल म.प्र. के इन्हीं वनों में अथवा वनों के आसपास हैं। वनवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था वनों से जुड़ी होने के कारण वन उनके जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

प्रदेश के वन क्षेत्रों के प्रबंधन में वनों का संरक्षण एवं सवंर्धन मुख्य प्रेरक बिन्दु है। प्रदेश की वन नीति में इन्हीं प्राथमिकताओं का समावेश कर वानिकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की घरेलू तथा औद्योगिक वनोपज की आवश्यकताएं पूर्ण करने के साथ ही वन क्षेत्र की सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को आजीविका के नये संसाधन उपलब्ध कराने का विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ताकि वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

वन विभाग की गतिविधियॉ मुख्यालय स्तर पर विभिन्न शाखाओं के माध्यम से संचालित हैं। विभिन्न शाखाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

1.5.1 वन संरक्षण

वन संरक्षण की गतिविधियां

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव के कारण वन संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाईयों की सक्रियता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित है।

वर्ष	वन अपराध प्रकरणों की संख्या					
	अवैध कटाई	अतिक्रमण	अवैध उत्खनन	अवैध शिकार	अन्य	योग
2010	52,927	1,774	1,141	652	7,198	63,792
2011	55699	1479	1014	657	7665	66514
2012	33495	1397	745	483	5122	41242
जनवरी से जून 2013	27647	552	576	376	2634	31785

अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। आज की स्थिति में 311 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु वाहन उपलब्ध है। वन चौकियों पर गठित गश्ती दलों के लिये 12 बोर की 2,600 नई बंदूके (पम्प एक्सन गन) प्रदाय की गई हैं। परिक्षेत्र अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को प्रदाय हेतु 136 रिवाल्वर/पिस्टल का प्रदाय किया जा रहा है। परिक्षेत्र स्तर पर वन गश्ती एवं सुरक्षा हेतु किराये के वाहन भी उपलब्ध कराये गये है।

संचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु 4,266 वायरलेस सेट, 5490 मोबाइल सिम, 2946 मोबाईल हेण्ड सेट, 900 पी.डी.ए. एवं 900 बायनाकूलर प्रदाय किये गये हैं।

अग्नि सुरक्षा कार्य

अग्नि सुरक्षा एवं अन्य वानिकी कार्य हेतु 23 नग फायर टेंकर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर हैं। केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत गहन वन प्रबंधन योजना के तहत वन सुरक्षा में तैनात क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिये 42 भवन का निर्माण वर्ष 2013–14 में किया जा रहा है।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 कंपनियां भी तैनात की गई हैं।

वर्ष 2013 (30.6.2013 तक) में 14623 वन अपराधियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। वन अपराध में लिप्त 906 वाहन जप्त किये गये है। कर्तव्य के दौरान वन कर्मचारियों पर हमलें के 21 प्रकरण दर्ज हुये, जिसमें 1 कर्मचारी की मृत्यु हुई तथा 1 कर्मचारी हमले में गम्भीर रूप से घायल हुआ ।

वन सुरक्षा में लगे वन कर्मियों को सी.आर.पी.सी. की धारा–197(2) के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रदाय किये गऐ शासकीय 12 बोर बन्दूक रखने हेतु लायसेंस की आवश्यकता नहीं है। वन सुरक्षा के लिये गोपनीय सूचनाएं एकत्र करने के लिये मुखबिर तंत्र विकसित किया गया है।

मध्यप्रदेश वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004 के अंतर्गत वन अपराध की दोषसिद्धी या उसके प्रशमन पर, वन अपराध का पता लगाने में, अपराधी को पकड़ने में, अपराधी की दोषसिद्धि होने में, वनोपज या अन्य वस्तुओं की जप्ती में सहायता देने वाले व्यक्तियों को अधिकतम रु. 25,000 का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

वन सुरक्षा हेतु वन चौकी

वन सुरक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित "वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.) विकसित की गई है। इसके अंतर्गत अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है। अग्नि दुर्घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु 'अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली' (फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम) विकसित की गई है। अवैध उत्खनन की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सेटेलाईट इमेजरी का प्रयोग किया जा रहा है।

वन अपराध की सूचना देने के लिये भोपाल में राज्य स्तरीय वन अपराध सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र को बी.एस.एन.एल. के फोन (लैण्ड लाईन एवं मोबाईल) से नंबर 155312 अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं के फोन (लैण्ड लाईन एवं मोबाईल) से नंबर 1800 233 4396 पर निःशुल्क डायल कर कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं से भी वन अपराध संबंधी गोपनीय सूचना 24 घंटे में कभी भी दे सकता है। इन शिकायतों पर समयसीमा में कार्यवाही करते हुए सूचनादाता को की गई कार्यवाही बाबत् अवगत कराने का प्रावधान है।

वनोपज जाँच नाका

परिवहन अनुज्ञापत्र –

ग्रामीणों की सुविधा के लिये, नीलगिरी, कैजुरिना, सूबबूल, बबूल, खमेर, पापुलर, इजरायली बबूल, विलायती बबूल, कटंग बांस व आयातित/शंकुधारी काष्ठ (चीड़,कैल,देवदार और पाईन) की अन्य समस्त प्रजातियां जो म0प्र0 में नहीं पाई जाती हैं, को परिवहन अनुज्ञापत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त सिरिस, बेर, पलास, जामुन, रिमझा, नीम, आम व कटंग बांस से भिन्न बांस (खण्डवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिन्दवाड़ा सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल,उमरिया और सीधी) कुल 14 जिले के सिवाय, उक्त प्रजातियों के परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया है।

1.5.2 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी

- ❖ मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण का कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल में एक–एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं।
- ❖ प्रदेश में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त अंतर्गत 161 रोपणियॉं स्थापित है जहॉं मांग अनुसार उचित गुणवत्ता के पौधे तैयार कर प्रदाय किये जाते हैं।

- योजना मद नर्सरियों में पौधा तैयारी (6397) मद के अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों में विभिन्न प्रजातियों के 6.20 करोड़ पौधे तैयार किये गये। वर्षा ऋतु 2013 में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों द्वारा 4.28 करोड़ पौधों का निर्वर्तन विभाग एवं विभाग के बाहर किया गया है। शेष पौधे अगले वर्ष रोपण हेतु उपयोग किये जावेंगे ।
- पौधों के निर्वर्तन से माह सितंबर 2013 तक राशि रु. 1.58 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के द्वितीय त्रैमास अंत तक आयोजना मद 6397 नर्सरियों में पौधा तैयारी अंतर्गत 190 लाख नये पौधों की तैयारी, 620 लाख़ पुराने पौधों का रखरखाव, 65117 बेडस् तैयारी एवं रखरखाव, 161 रोपणियों में अधो संरचना विकास एवं उन्नयन के साथ–साथ वानिकी प्रशिक्षण, विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार कार्य संपादित किये गये। वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजनांतर्गत राशि रु. 40 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के द्वितीय त्रैमास अंत तक योजना मद 2536 विस्तार वानिकी अंतर्गत विभिन्न वनमंडलों में जिला योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रस्ताव के तहत नवीन एवं पुराने वृक्षारोपणों के रखरखाव के साथ–साथ वानिकी प्रचार प्रसार कार्य किया गया। योजना अंतर्गत वर्षा ऋतु 2013 में क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से 420 हे. में लगभग 15.47 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना अंतर्गत राशि रु. 23.13 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है।
- योजना मद 5108 अध्ययन अनुसंधान अंतर्गत राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर को विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान दिया गया। अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के माध्यम से प्रायोगिक वृक्षारोपण, विशिष्ट अनुसंधान, डेमो प्लाट्स एवं दुर्लभ/संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना अंतर्गत राशि रु. 4 करोड़ का प्रावधान है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत रोपणियों में अधो संरचना विकास हेतु राशि रु. 3.74 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है। इस राशि से रोपणियों में सिंचाई व्यवस्था (ओवरहेड टेंक, स्प्रिंकलर, ट्यूबवेल खनन आदि) ग्रीन हाउस व्यवस्था (ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, मिस्ट चेंबर आदि), निर्माण कार्य (बीज भंडारण कक्ष, सीड ट्रीटमेंट फ्लोर) एवं सुरक्षा व्यवस्था (नई फेंसिग, पुरानी फेंसिग मरम्मत) कार्य प्रमुखता से कराये जा रहे हैं।

रोपणी में ग्रीन हाउस व्यवस्था

- प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये किसान लक्ष्मी योजना लागू वित्तीय वर्ष 2013–14 से लागू की गई है ।
- लोकवानिकी योजना अंतर्गत निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु विभिन्न वनमंडलों में 2877 प्रबंध योजना स्वीकृत हुई है। 10 हे0 से कम क्षेत्र की प्रबंध योजना हेतु सरलीकृत लोकवानिकी मार्गदर्शिका जारी की गई है।
- अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों द्वारा रोपणी कार्यो के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

मदर बैड में बांस पौधे

1.5.3 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति की स्थिति

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी जाती है। विभिन्न संस्थाओं से सितम्बर 2013 तक कुल 1231 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 810 प्रकरणों में 137629.536 हैक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु औपचारिक स्वीकृति दी गई है तथा 209 प्रकरण अस्वीकृत हुये हैं। कुल लंबित 213 प्रकरणों में से प्रथम चरण सैद्धांतिक की स्वीकृति प्राप्त 119 प्रकरण औपचारिक स्वीकृति हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है। प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु 94 प्रकरण विचाराधीन है।

एक हैक्टेयर से कम वनभूमि व्यपवर्तन

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जानकारी 2005 से कुछ शर्तो के अधीन शासकीय विभागों को एक हैक्टेयर से कम वनभूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रत्यायोजित किये गए थे। इस अधिकार के उपयोग की समय–सीमा 31 दिसम्बर 2008 तक बढ़ाई गई थी। भारत सरकार द्वारा यह अवधि उनके पत्र दिनांक 11.09.2009 द्वारा 31 दिसम्बर 2013 तक उन क्षेत्रों के लिए बढ़ाई गई है जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की परिधि के बाहर है। इसके अन्तर्गत स्कूल, अस्पताल, विद्युत व संचार लाईने, पेयजल की व्यवस्था, रेन वाटर

हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत सब स्टेशन, छोटी सिंचाई नहरे, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट, वाचटावर इत्यादि निर्माण कार्य लिये जा सकते है। दिनांक 31.10.2013 की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कुल 452 प्रकरण स्वीकृत किये गये, प्रकरणों का कुल व्यपवर्तित वन क्षेत्रफल 184.6943 हैक्टेयर है।

वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि का व्यपवर्तन

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3 (2) के तहत ग्राम सभा की अनुशंसा पर एक हैक्टेयर से कम वनभूमि, जिनमें प्रति हैक्टेयर 75 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, निम्न विकास कार्यों के लिये व्यपवर्तन हेतु निर्धारित शर्तों पर स्वीकृति के अधिकार प्रावधानित किये गये हैः–

पाठशालाएं, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकानें, विद्युत एवं दूरसंचार लाईने, टंकियां और अन्य लघु जलाशय पेयजल की आपूर्ति हेतु जल प्रदाय के लिये पाइप लाइनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरे, अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़के तथा सामुदायिक केन्द्र।

स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रक्रिया भारत सरकार के पत्र क्रमांक 23011/15/2008 एसजी दि. 18 मई 2009 द्वारा जारी की गई है तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिनांक 29.05.2009 को जारी किए गए हैं।

दिनांक 31.10.2013 की स्थिति में मुख्यतः वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु जलाशय, तालाब निर्माण, सड़के, पाठशाला, विद्युत, अन्य मार्ग उन्नयन कार्य आदि प्रयोजनों के लिये, 493 प्रकरण स्वीकृत किये गये है, प्रकरणों का व्यपवर्तित वनक्षेत्र 245.901 हैक्टेयर है।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–5–11/2006/10–3 दिनांक 24.12.2011 द्वारा एल.डब्ल्यू. ई. (Left wing Extryemism) नक्सलाईट प्रभावित जिलों, अनूपपुर, बालाघाट, डिण्डौरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सीधी एवं उमरिया में जनपयोगी विकास कार्यों हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन 2.00 हैक्टेयर के स्थान पर 5.00 हैक्टेयर तक वनभूमि व्यपवर्तन के अधिकार निम्नानुसार प्रयोजनों हेतु क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारियों को दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि के लिये प्रदत्त किये गये है :–

स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, विद्युत एवं संचार लाइने, पीने के पानी की व्यवस्था, वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, छोटी सिंचाई नहरें, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, कुशल उन्नयन/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत उपस्टेशन, ग्रामीण सड़क, संचार पोस्ट, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/आउटपोस्ट/वाच टावर, भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल/टेलीफोन लाइन/पीने के पानी की सप्लाई लाइन इत्यादि।

एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिलों में दिनॉक 31.10.2013 की स्थिति में 2 हेक्टेयर तक के 251 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं, जिनका व्यपवर्तित रकबा 75.9954 हेक्टेयर है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों के उन्नयन की स्वीकृति

भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 30.04.2005 के तारतम्य में वन क्षेत्र से गुजर रहे मार्गों के उन्नयन हेतु वन मंण्डलाधिकारी को प्रत्यायोजित अधिकारों के तहत म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु (डामरीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद) सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। राज्य शासन के पत्र दिनांक 21.11.2006 में उपलब्ध मार्ग में ही ''राईट आफ वे'' के तहत स्वीकृति हेतु समस्त वनमण्डलाधिकारियों

को निर्देश दिये गये। भारत सरकार की 2006 की पर्यावरणीय अधिसूचना के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

उक्त अनुमति के तहत अब तक वनमंडल स्तर पर 31 अक्टूबर 2013 की स्थिति में प्राप्त 2419 प्रकरणों में से 2410 प्रकरणों की स्वीकृति दी गई है। 08 प्रकरण वनमंडल स्तर पर एवं 01 प्रकरण भारत सरकार स्तर पर लंबित है।

कैम्पा से प्राप्त राशि का उपयोग

वन (संरक्षण) अधियिनम, 1980 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.2002 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) से प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में निम्नानुसार निकाय तथा समितियों का गठन किया गया–

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2009 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति निर्धारण तथा समीक्षा हेतु शासी निकाय का गठन किया गया। माननीय मंत्री, वन विभाग, वित्त विभाग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा अन्य अधिकारी इस निकाय के सदस्य है। सचिव, वन विभाग इस निकाय के सदस्य सचिव है।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2009 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति (स्टियरिंग कमेटी) का गठन किया गया। अन्य अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि एवं अशासकीय संगठन के दो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रंबध) सदस्य सचिव हैं।
3. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 31.07.2009 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में कार्यकारणी समिति का गठन किया गया। अन्य अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त अशासकीय संगठनों के दो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) सदस्य सचिव हैं।

   भारत सरकार के उक्त निर्देशों के अनुसरण में एड–हॉक कैम्पा मद में 30.09.2013 तक रूपये 2164.08 करोड़ की राशि जमा की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में अगस्त 2009 में भारत सरकार से प्राप्त राशि (रु. 53.04 करोड़, रु. 50.96 करोड़, रु. 53.52 करोड़ एवं रु. 61.50 करोड़) कुल रु. 219.02 करोड़ से 215, 39 एवं 134 वनीकरण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं एन.पी. व्ही. मद से वन संरक्षण एवं विकास के कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 हेतु रू.225.56 करोड़ वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से राशि रू.89.50 करोड़ विमुक्त किये जाने की सम्भावना है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर 59 वनीकरण योजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये जावेंगे।

1.5.4 वन भू–अभिलेख

वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करनाः–

मध्यप्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव भारत सरकार को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में जिलेवार प्रेषित किये गये हैं। 925 वनग्रामों में से 15 वनग्राम वीरान एवं 17 वनग्राम विस्थापित हैं तथा 27 वनग्राम राष्ट्रीय उद्यानों एवं 39 वनग्राम अभ्यारण्यों में स्थित हैं। इस तरह इन 98 वनग्रामों के प्रस्ताव शासन निर्देशानुसार भारत सरकार को नहीं भेजे गये।

827 वन ग्रामों में से में से 310 वनग्रामों के लिये भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष 517 वन ग्रामो के प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन हैं। माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.04 द्वारा भारत सरकार की उक्त स्वीकृति पर स्थगन जारी किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) ज के अनुसार वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन का प्रावधान है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के परिपत्र दिनांक 7.06.2009 द्वारा सभी जिलाध्यक्षों तथा वनमंडलाधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दावा प्राप्त होने पर वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये थे। लेकिन भारत सरकार जनजाति कल्याण मंत्रालय का पत्र क्रमांक 23011/28/2008–एस.जी. II दिनांक 3.12.2008 के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 13–1/90–एफ.पी (5) दिनांक 18.09.1990 से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही करके ही वनग्रामों को राजस्व ग्रामों मे परिवर्तित किया जा सकता है और ग्राम सभा में दावा प्राप्त होने पर वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भी यह कार्यवाही की जा सकती है। भारत सरकार जनजाति कल्याण मंत्रालय से प्राप्त उक्त पत्र के निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 905 दिनांक 12.08.2011 से निर्देश जारी किये गये है। आदिम जाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 23011/28/2008 & SGII(FRA) दिनांक 1.09.2011 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाह के आधार पर स्पष्ट लिखा गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि का स्वरूप परिवर्तित नही किया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वनग्राम को राजस्व ग्राम नही बनाया जा सकता है।

वन राजस्व सीमांकन

राज्य शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सीमाकंन की कार्यवाही की जा रही है। वन सीमा से लगे ग्रामों की कुल संख्या 19,717 है, जिसमें से 19,491 (98 प्रतिशत) ग्रामों के सीमा विवाद का निराकरण किया जा चुका है। शेष 226 ग्रामों में मुख्यतः नक्शे उपलब्ध न हो पाने के कारण निराकरण में कठिनाई हो रही है।

राजस्व विभाग द्वारा वनभूमि को राजस्व भूमि मानकर दिये गये पट्टों को सीमा विवाद हल करने की प्रक्रिया में चिन्हित एवं निरस्त करने की जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

पट्टा का प्रकार	चिन्हांकित संख्या	निरस्त संख्या	निरस्त रकबा हे.में.
कृषि	28,655	10,764	14,216
उत्खनन	17	17	22
आवासीय	447	181	19
योग	**29,119**	**10,962**	**14,257**

वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा वन भूमि के अधिकारों का व्यवस्थापनः–

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा ''4'' के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वन खण्डों की धारा 6 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियॉ की जाती हैं। वर्ष 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया। वर्ष 1988 से यह कार्य विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं होने पर वन विभाग द्वारा

दिसम्बर 2003 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश/प्रक्रिया संकलित कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से समस्त वन व्यवस्थापन अधिकारियों को भेजी गई तथा उनका प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर कराया गया फिर भी वन व्यवस्थापन के कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक/एफ–25/54/2003/10–3 दि.10.05.06 द्वारा इस कार्य हेतु सेवा निवृत्त उप जिलाध्यक्ष को संविदा आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। प्रांरभ में 11 जिलों (पन्ना, छिन्दवाड़ा, सतना, छतरपुर, सीधी, गुना, रतलाम, रायसेन, सागर, शहडोल एवं सिवनी) के लिये स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त स्वीकृति के विरूद्ध छिन्दवाड़ा, सतना, गुना, रतलाम, रायसेन, सागर, में संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई थी। आशातीत प्रगति न होने के कारण वर्तमान में किसी भी जिले में संविदा के आधार पर वन व्यवस्थापन अधिकारी कार्यरत नही हैं।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–3–122/2006/10–1 दिनांक 17.09.2011 द्वारा एवं पत्र क्रमांक एफ–25–70/2003/10–3/डी 05 दिनांक 3.01.2011 के पैरा 5 के अनुसार मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अब यह कार्य जिले में कार्यरत डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.एम द्वारा ही किया जाना है। वर्णित स्थिति में पूर्व से नियुक्त व्यवस्थापन अधिकारियों की संविदा नियुक्ति में सेवा वृद्धि किया जाना संभव नही है और ऐसी नई नियुक्तियॉ भी नही की जा सकती ।

वर्तमान में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 में अधिसूचित 6,520 वनखण्डों की 30,04,624 हेक्टेयर भूमि के संबंध में धारा 6 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की कार्यवाही लंबित है। मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 23.12.10 को परख कार्यक्रम के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन कार्य की समीक्षा के उपरान्त मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 03.01.11 द्वारा निर्देश जारी किये गये कि जिन प्रकरणों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–6 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी हुए अत्याधिक समय हो चुका है, उन प्रकरणों में पुनः धारा–6 की उद्घोषणा जारी की जाये। जिलों में अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) की कमी के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिले में पदस्थ अन्य उप जिलाध्यक्षों को इस कार्य के लिए अनुविभागवार अधिकृत किया जाये। इस कार्य के लिए अधिकृत उप जिलाध्यक्ष को जिले के एक से अधिक अनुविभागों में भी व्यवस्थापन का कार्य सौंपा जा सकता है।

1.5.5 संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है – सघन क्षेत्रों में वन सुरक्षा समिति, बिगड़े वन क्षेत्रों में ग्राम वन समिति तथा संरक्षित क्षेत्रों में ईको विकास समिति।

संकल्प के अनुसार वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होंगे। राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.01.08 द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुए अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं, साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछडा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

1. वन समितियों की संख्या

वन समितियों की कुल संख्या 15,228 है, जिनके द्वारा 66874 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है –

समिति का प्रकार	समितियों की संख्या	प्रबंधित वन क्षेत्र
ग्राम वन समिति	9650	37268 वर्ग किमी
वन सुरक्षा समिति	4747	25904 वर्ग किमी
ईको विकास समिति	831	3702 वर्ग किमी
योग	**15228**	**66874 वर्ग किमी**

2. वन समितियों को लाभांश वितरण–

(i) बांस लाभांश – मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार, शासनादेश दिनांक 30.05.12 के द्वारा कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस के विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभांश 20 प्रतिशत से बढ़ाकर शत–प्रतिशत, नगद वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

(ii) काष्ठ लाभांश – काष्ठ लाभांश की राशि का 10 प्रतिशत वर्तमान में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 का काष्ठ एवं बांस का लाभांश जो वर्ष 2013–14 में राशि रुपये 37,64,45,442/– हितग्राहियों को वितरित किया जाना है।

3. बाँस एवं अन्य प्रजाति के पौधों का रोपण–

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से बाँस एवं अन्य प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये थे। बाँस प्रजाति के 4231247 एवं अन्य प्रजाति के 3627079 इस प्रकार कुल 7262887 पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध 7098582 पौधों का रोपण किया जा चुका है।

4. बुंदेलखण्ड विशेष परियोजना/प्रोजेक्ट –

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 06 जिलों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य तथा चारागाह विकास कार्य कुल 98,511 हेक्टेयर क्षेत्र में कराये गये हैं। प्रथम चरण के कार्य वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय वनीकरण योजना एवं मनरेगा मद के अंतर्गत प्राप्त राशि से कार्य कराये गये। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार तालिका में दिया गया हैः–

मद का नाम	प्राप्त राशि (रू. करोड़ में)	व्यय राशि (रू. करोड़ में)	प्राप्त लक्ष्य
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	106.54	106.54	89086 हेक्टेयर
राष्ट्रीय वनीकरण योजना	19.09	16.77	7700 हेक्टेयर (चारागाह विकास कार्य)
मनरेगा	3.67	2.02	1725 हेक्टेयर
कुल योगः–	**129.30**	**125.33**	**98511 हेक्टेयर**

चारागाह विकास

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण के अंतर्गत 06 जिलों क्रमशः सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, दतिया, पन्ना में कार्य कराने हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (A.C.A.) मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लिये राशि रुपये 80.02 करोड़ का परियोजना प्रस्ताव बनाया जाकर एन.आर.ए.ए. भारत सरकार को भेजा गया जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No.Q-1-11050/20/2013-Agri दिनांक 16.09.2013 से प्राप्त हो चुकी है।

उपरोक्त स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार निम्नानुसार कार्य कराये जावेंगे:–

क्र.	कार्य का नाम	ए.सी.ए. की स्वीकृत राशि (करोड़ में)	भौतिक लक्ष्य
1.	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	65.61	87530 हेक्टेयर
2.	नहर किनारे वृक्षारोपण	4.49	66 कि.मी.
3.	एन.टी.एफ.पी. प्रोसेसिंग	9.90	
कुल राशि		80.00	

ऊपर दर्शाये मृदा एवं जल संरक्षण कार्य एवं नहर किनारे वृक्षारोपण के कार्यों के क्रियान्वयन की कार्यवाही संयुक्त वन प्रबंधन कक्ष द्वारा की जावेगी तथा एन.टी.एफ.पी. प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य मध्य प्रदेश राज्य लघुवनोपज के द्वारा किये जावेगें।

वर्तमान में उपरोक्त 06 जिलों के अधीनस्थ आने वाले वनमण्डल उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं दतिया तथा पन्ना टाईगर रिजर्व, ओरछा अभ्यारण्य एवं नौरादेही अभ्यारण्य द्वारा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं, जिसके पश्चात मध्य प्रदेश वन विभाग का सम्मिलित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव एन.आर.ए.ए. भारत शासन को प्रेषित किया जावेगा।

5. वनग्राम विकास :–

मध्यप्रदेश में 925 वन ग्राम हैं। इनमें से 867 वनग्रामों में वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति राशि रु. 259.94 करोड में से राशि रु. 245.20 करोड के अधोसंरचना विकास कार्य कराये गये हैं। वनग्राम विकास योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त राशि रु. 259.94 करोड़ में से शेष राशि रु. 14.74

करोड़ से भारत सरकार को भेजी गई मूल डी.पी.आर. में प्रस्तावित शेष कार्यों को कराये जाने की अनुमति म.प्र. शासन, वन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रं. / एफ.–3–52 / 2013 / 10–2 दिनांक 20.09.13 द्वारा प्रदान की गई है।

मूल डी.पी.आर. के जिन शेष प्रस्तावित कार्यों को कराया जाना संभव न हो अथवा जिन कार्यों को अन्य स्रोतों से पूर्ण करा लिया गया हो, उनके स्थान पर मूल डी.पी.आर. में स्वीकृत किए गए कार्यों की प्रकृति के ही अन्य अधोसंरचना विकास कार्य नियमानुसार एवं क्षेत्रीय मांग के अनुरूप किए जा सकेंगे।

6. राज्य वन विकास अभिकरण –

राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19.04.2010 को किया गया था, जिसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य कराना है। राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

राज्य वन विकास अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2010–11 में राशि रु. 30.38 करोड़, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रु. 20.71 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु रु. 9.14 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2013–14 में राशि रु. 1512.00 लाख प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 38 वनमण्डलों में वृक्षारोपण के विभिन्न मॉडल के अन्तर्गत कार्य कराए गए हैं, जिसके अंतर्गत 5125 हे. वन क्षेत्र में 1609825 पौधों का रोपण कार्य किया जा चुका है।

7. ग्रीन इंड़िया मिशन –

भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पचास लाख हैक्टे. वन क्षेत्र को वन आच्छादित करने तथा पचास लाख हैक्टे. वन क्षेत्रों में वन संबर्धन करने हेतु ''ग्रीन इंडिया मिशन'' प्रारंभ किया गया है।

आस्था मूलक कार्यों में बनाये गये कुंए, जोकि अभी भी पानी से भरे पड़े हैं, जिनसे कि किसान अपने खेतों को अब सींच भी रहे हैं।

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक–MEF(NAEB) : 41-7/2012-B-II dated 30.03.2012 से दक्षिण सिवनी, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण सागर, बड़वानी, शिवपुरी एवं होशंगाबाद वनमण्डलों के अंतर्गत 70 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में नर्सरी स्थापना, सर्वेक्षण एवं माइक्रोप्लान बनाने, आस्था मूलक एवं मृदा एवं जल संरक्षण कार्य क्रियान्वयन हेतु रु. 8.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उक्त समितियों में उपरोक्तानुसार कार्य संपन्न कराये जा रहे हैं। संयुक्त वन प्रबंधन कक्ष द्वारा प्रदेश में "ग्रीन इण्डिया मिशन" के वृहद स्तर पर क्रियान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

8. पुरस्कार वितरण संबंधी कार्यवाही –

(i) **शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार** – मध्यप्रदेश शासन ने प्रतिवर्ष वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के लिये शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2001 से 2005 तक तीन वर्गों में पुरस्कार दिये गये हैं तथा 2006 से शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों को व्यक्तिगत पुरस्कार पृथक–पृथक दिये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल पांच वर्गों में पुरस्कार दिये जा रहे हैं। वन रक्षा एवं वन संवर्द्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को एक लाख रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वन रक्षा एवं संवर्द्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति (शासकीय एवं अशासकीय) को पचास–पचास हजार रूपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वन्यप्राणियों की रक्षा में अदम्य साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति (शासकीय एवं अशासकीय) को पचास–पचास हजार रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

(ii) **बसामन मामा स्मृति वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार** – मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009 में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निम्न दो श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की गई।

- **विन्ध्य क्षेत्र हेतु पुरस्कार** – यह पुरस्कार शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियो द्वारा वनों एवं वन्यप्राणियों संरक्षण एवं वन संवर्धन के लिये प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ठ कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रदान किया जावेगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रु. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिये जाऐंगे। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकेगा।
- राज्य स्तरीय पुरस्कार – निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिये यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा। 5 हैक्टेयर से अधिक तथा 5 हैक्टेयर से कम भूमि पर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण हेतु। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रु. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिये जायेंगे।

पुरस्कार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

9. वन लक्ष्मी योजना–2013

इसके अंतर्गत प्रदेश के 16 वन वृत्तों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से समितियों को आवंटित वन क्षेत्रों में वृत्त स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य वर्ष 2013–14 में किया गया। इसके अंतर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 29 जुलाई, 2013 तक 70 लाख से अधिक पौधों का रोपण कार्य किया जा चुका है।

1.5.6 मानव संसाधन विकास

मुख्य दायित्व

- प्रशिक्षण
- वन विद्यालयों का संचालन
- दैनिक वेतन भोगियों से सम्बंधित कार्य
- जायका प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन